भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 928
उत्तर देने की तारीख : 19.09.2020

हज हाउस का निर्माण

928. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ हज समिति ने केन्द्रीय हज समिति को हज हाउस के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई माह बाद भी उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छत्तीसगढ़ हज समिति के अतिरिक्त अन्य राज्यों की हज समितियों के प्रस्तावों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): जी हां। रायपुर में हज हाउस के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति को वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव भारतीय हज समिति (एचसीओएल) से प्राप्त हुआ था, जिसे मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग): भारतीय हज समिति एक सांविधिक निकाय है जो हज हाऊसों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों की हज समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करता है। यदि प्रस्ताव मापदण्डों के अनुरूप पाया जाता है तो उसे भारतीय हज समिति द्वारा मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

******